न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 27/2023 बउनवानी वृन्दावन मथुरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 निवासी एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर

GCMS No-2023/76

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

19.7.2023

पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी अति0जिला कलेक्टर स0मा0 की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.3.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी अति0जिला कलेक्टर स0मा0 के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 एवं 18.11.2022 का प्रार्थना पत्र आर्डर की प्रमाणित प्रति की नकल जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर का पत्र क्रमांक 13 दिनांक 5.1.2023 का आर्डर की प्रति

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी अति0जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी अति0जिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाच अधिकारी अति0जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा जवाब नोटिस क्रमांक/ सूकाअ/2023/1626 दिनांक 12.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 से संबंधित सूचना के लिए उपजिला निर्वाचन अधिकारी अति0जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक 396 दिनांक 5.4.2023 से 8.00/–रू जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने बाबत लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण तत्समय सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी थी। किन्तु अपील के नोटिस की पालना में जरिये पत्रांक 1625 दिनांक 12.7.2023 से अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 10.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 मे चा[illegible] की सूचना उपजिला निर्वाचन अधिकारी अति0जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक [illegible] दिनांक 12.7.2023 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी [illegible] अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुम[illegible] बाद त[illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले [illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर